रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112026-278005
CG-DL-E-18112026-278005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2026/कार्तिक 18, 1948
No. 338] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2026/KARTIKA 18, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2026

जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना
सेतु मामला आईडी – AD/OI/079/2026

विषय: चीन जन. गण., मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से "एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, संरचनाएं और उनसे निर्मित वस्तुएं" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

क. पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/67/2026-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके बाद 'पाटन रोधी नियमावली, 1995' अथवा 'नियमावली' के रूप में संदर्भित) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में संदर्भित) को एल्युमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (इसके बाद 'एलेमाई' या 'संघ' के रूप में संदर्भित) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह संघ "एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, संरचनाएं और उनसे

निर्मित वस्तुएं" (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद', 'संबद्ध वस्तुएं' अथवा 'पीयूसी' के रूप में संदर्भित) के 228 निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एलेमाई ने कहा है कि चीन जन. गण., मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड (इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में संदर्भित) से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

1. एलेमाई के सदस्य नौ घरेलू उत्पादकों ने भी पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। इन कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, एलेमाई के सदस्य 3 घरेलू उत्पादकों ने 4 नवंबर 2026 के पत्रों के माध्यम से संबद्ध देशों से आयात के संबंध में लागत की संक्षिप्त जानकारी तथा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के अनुमान प्रस्तुत किए हैं।

2. एलेमाई ने प्रस्तुत किया है कि उसके अधिकांश सदस्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई श्रेणी की छोटी इकाइयां हैं। संघ ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि संघ और उसके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों में उल्लिखित तथ्यों तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के आधार पर जांच शुरू करने पर विचार किया जाए।

3. प्राधिकारी ने एलेमाई तथा उसके सदस्य उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी और वाणिज्य विभाग के व्यापार आसूचना एवं विश्लेषण (टीआईए) पोर्टल से प्राप्त संबद्ध वस्तुओं के आयात आंकड़ों की जांच की है। आयात आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण., मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है तथा इन देशों का संयुक्त हिस्सा जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का लगभग 90 प्रतिशत था।

4. नियमावली के नियम 5(4) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वप्रेरणा से जांच शुरू कर सकता है, यदि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन नियुक्त प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर उसका यह समाधान हो जाता है कि उप-नियम (3) के खंड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों के विद्यमान होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं।"

5. तदनुसार, प्राधिकारी नियमावली के नियम 5(4) के अंतर्गत एलेमाई और उसके सदस्य उत्पादकों द्वारा दी गई जानकारी तथा अभिलेख पर उपलब्ध आयात आंकड़ों का संज्ञान लेता है, ताकि यह जांच की जा सके कि नियमावली के नियम 5(3)(ख) में निर्दिष्ट पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के अस्तित्व के पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, संरचनाएं और उनसे निर्मित वस्तुएं" है। संबद्ध वस्तुएं मिश्रधातुयुक्त अथवा गैर-मिश्रधातुयुक्त हो सकती हैं और एक्सट्रूजन प्रक्रिया द्वारा प्रोफाइल (ठोस, खोखली या अर्ध-खोखली), बार, रॉड, ट्यूब और पाइप के रूप में निर्मित की जाती हैं।

7. संबद्ध वस्तुएं मिल फिनिश अथवा सतही उपचारित अवस्था (एनोडाइज्ड, पाउडर कोटेड, लिक्विड पेंटेड, इलेक्ट्रोफोरेटिक कोटेड, वुड-ग्रेन अथवा सब्लिमेशन फिनिश, पॉलिश्ड या ब्रश्ड) में बेची जाती हैं। इन वस्तुओं को उसी रूप में अथवा आगे फैब्रिकेट करके (अर्थात निर्धारित लंबाई में काटकर, ड्रिलिंग, पंचिंग, नॉचिंग, माइटर कटिंग, मोड़ने, वेल्डिंग, मशीनिंग अथवा थ्रेडिंग करके) बेचा जा सकता है और इनका उपयोग अंतिम उपभोग के लिए संरचनाओं तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है।

8. तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:
(क) वास्तुशिल्प, औद्योगिक, परिवहन, विद्युत और सामान्य इंजीनियरिंग उपयोगों के लिए एक्सट्रूडेड प्रोफाइल;
(ख) वायर रॉड को छोड़कर एक्सट्रूडेड बार और रॉड;
(ग) एक्सट्रूडेड सीमयुक्त अथवा सीमलेस ट्यूब और पाइप, चाहे बाद में उनकी ड्रॉइंग की गई हो अथवा नहीं;
(घ) एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन से निर्मित दरवाजे, खिड़कियां तथा उनके फ्रेम और दहलीज, कर्टेन-वॉल एवं फसाड प्रणालियां, पार्टिशन, लूवर, रेलिंग और बैलस्ट्रेड, तथा अन्य संरचनाएं और संरचनाओं के भाग; साथ ही संरचनाओं में उपयोग के लिए तैयार किए गए प्रोफाइल, ट्यूब और इसी प्रकार की वस्तुएं; तथा
(ङ) मुख्यतः एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन से निर्मित अन्य वस्तुएं, जैसे हीट सिंक, एलईडी और लाइटिंग प्रोफाइल, औद्योगिक फ्रेमिंग (टी-स्लॉट) प्रोफाइल, सौर पैनल माउंटिंग संरचनाएं, सीढ़ियां और फर्नीचर, रसोईघर एवं वार्डरोब प्रोफाइल, साइकिल के पुर्जे और फॉर्मवर्क।

9. एलेमाई ने प्रस्तुत किया है कि एक्सट्रूजन प्रक्रिया से निर्मित प्रोफाइल, बार, रॉड, ट्यूब, संरचनाएं और अन्य वस्तुएं एक ही उत्पाद के अलग-अलग प्रकार हैं, क्योंकि (क) सभी रूप एल्यूमिनियम बिलेट से बनाए जाते हैं, जो आवश्यक मिश्रधातु तत्वों के साथ प्राथमिक एल्यूमिनियम इंगट और/अथवा एल्यूमिनियम स्क्रैप से ढाले जाते हैं; (ख) सभी रूप उसी हाइड्रोलिक एक्सट्रूजन प्रेस पर बिलेट को गर्म करने, एक्सट्रूजन, क्वेंचिंग, स्ट्रेचिंग, कटिंग और एजिंग के समान चरणों से तैयार किए जाते हैं तथा खोखली और ठोस प्रोफाइल के बीच केवल डाई का अंतर होता है; (ग) संरचनाएं और अन्य वस्तुएं एक्सट्रूडेड प्रोफाइल को केवल काटकर, मशीनिंग, वेल्डिंग अथवा जोड़कर बनाई जाती हैं तथा एक्सट्रूडेड प्रोफाइल अंतिम संरचना या वस्तु को उसका मूल स्वरूप प्रदान करती है और उसकी लागत का प्रमुख भाग होती है; तथा (घ) प्रत्येक चरण का उत्पाद (प्रोफाइल, संरचना या वस्तु) उसी रूप में बेचा जा सकता है।

10. प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करता है कि दायरे में शामिल संरचनाएं और अन्य वस्तुएं एक्सट्रूडेड प्रोफाइल को काटकर, मशीनिंग, वेल्डिंग अथवा जोड़कर बनाई जाती हैं। ये अतिरिक्त प्रक्रियाएं हैं तथा संरचनाओं और वस्तुओं के निर्माण के लिए किसी अतिरिक्त कच्चे माल, संयंत्र या मूल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार, जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए एक्सट्रूजन प्रक्रिया से निर्मित एल्यूमिनियम प्रोफाइल, संरचनाओं और अन्य वस्तुओं को विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा माना गया है। इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में इसके दायरे की आगे जांच की जाएगी।

11. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग वास्तुशिल्प, औद्योगिक, परिवहन, विद्युत और सामान्य इंजीनियरिंग के अनेक क्षेत्रों में होता है, जैसे खिड़कियां, दरवाजे, कर्टेन-वॉल और फसाड प्रणालियां, पार्टिशन, रेलिंग, हीट सिंक और लाइटिंग प्रोफाइल, औद्योगिक फ्रेमिंग, सौर पैनल माउंटिंग संरचनाएं, सीढ़ियां, फर्नीचर, रसोईघर और वार्डरोब प्रोफाइल, साइकिल के पुर्जे तथा फॉर्मवर्क।

12. मुख्य कच्चा माल एल्यूमिनियम बिलेट है, जो प्राथमिक एल्यूमिनियम और/अथवा एल्यूमिनियम स्क्रैप को पिघलाकर तथा अपेक्षित मिश्रधातु प्राप्त करने के लिए अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा मिलाकर तैयार किया जाता है। बिलेट को आवश्यक लंबाई में काटकर लगभग 450–500°C तक गर्म किया जाता है तथा हाइड्रोलिक रैम से डाई के माध्यम से दबाकर निकाला जाता है। एक्सट्रूडेड प्रोफाइल को ठंडा किया जाता है, खींचा जाता है, मानक लंबाई में काटा जाता है तथा अपेक्षित कठोरता और मजबूती (जैसे टी5 अथवा टी6 टेम्पर) प्राप्त करने के लिए ओवन में एजिंग की जाती है। इसके बाद प्रोफाइल को एनोडाइज्ड, पाउडर कोटेड या अन्य प्रकार से फिनिश किया जा सकता है और संरचनाएं तथा अन्य वस्तुएं बनाने के लिए काटा, ड्रिल, पंच, मशीन, वेल्ड अथवा जोड़ा जा सकता है।

13. प्राधिकारी नोट करता है कि चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सोलर पैनल/मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम फ्रेम" के आयात पर सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 16/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक

27 सितंबर 2024 के माध्यम से वर्तमान में पाटन रोधी शुल्क लागू है। वर्तमान जांच के दायरे में ऐसी वस्तुओं के संबंध में अपनाए जाने वाले व्यवहार की जांच जांच की कार्यवाही के दौरान की जाएगी तथा इच्छुक पक्षकार इस विषय पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

14. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) रखी गई है, क्योंकि यह उत्पाद विभिन्न आकारों और प्रकारों में उत्पादित एवं बेचा जाता है तथा वजन के आधार पर इसकी तुलना करना सबसे उपयुक्त है।

15. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 76 के अंतर्गत टैरिफ मद 7604 10 20, 7604 10 31, 7604 10 39, 7604 21 00, 7604 29 30, 7604 29 90, 7608 10 00, 7608 20 00, 7610 10 00, 7610 90 10, 7610 90 20, 7610 90 30, 7610 90 90 तथा 7616 99 90 में वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे के निर्धारण में बाध्यकारी नहीं है।

16. इस चरण पर कोई उत्पाद नियंत्रण संख्या ('पीसीएन') पद्धति प्रस्तावित नहीं की गई है। प्राधिकारी जांच के दौरान इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर पीसीएन पद्धति की आवश्यकता निर्धारित करेगा।

17. सभी इच्छुक पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे ज्ञात इच्छुक पक्षकारों और संबद्ध देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रेषित सूचना-पत्रों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान जांच शुरू किए जाने के आधार में प्रयुक्त जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण तथा संबंधित प्रश्नावली शामिल हैं, के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ग. समान वस्तु

18. एलेमाई ने दावा किया है कि भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, मिश्रधातुओं, निर्माण प्रक्रिया, कार्यों एवं उपयोगों, विनिर्देशों, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से ये वस्तुएं तुलनीय हैं और तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे की स्थानापन्न हैं। अतः नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजन से भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं पात्रता

19. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाला भारतीय उद्योग बिखरी हुई इकाइयों वाला है तथा इसमें मुख्यतः एमएसएमई श्रेणी की इकाइयां शामिल हैं। एलेमाई भारत में संबद्ध वस्तुओं के 228 निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के प्रावधानों के अंतर्गत यह अभ्यावेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है।

20. उद्योग के एमएसएमई स्वरूप, बिखरी हुई संरचना और बड़ी संख्या में उत्पादकों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी 29 जुलाई 2021 की व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अंतर्गत घरेलू उत्पादकों से उक्त व्यापार सूचना में उल्लिखित अनुबंध-I के अनुसार जानकारी मांगता है। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्राधिकारी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का दायरा निर्धारित करेगा और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन से घरेलू उत्पादकों का

नमूनाकरण करेगा। अतः घरेलू उद्योग में शामिल सभी उत्पादकों की जानकारी क्षति विश्लेषण के लिए विचार में ली जाएगी, जबकि क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण नमूने में चुने गए उत्पादकों के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

ङ. संबद्ध देश

21. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड हैं (इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में संदर्भित)।

च. जांच अवधि

22. वर्तमान जांच की जांच अवधि ('पीओआई') 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2026 (15 माह) तक है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तथा जांच अवधि शामिल हैं।

23. नियमावली के नियम 5(3A) में प्रावधान है कि जांच की शुरुआत की तारीख को जांच अवधि छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए तथा सामान्यतः 12 माह की होनी चाहिए। हालांकि लिखित रूप में कारण दर्ज करके प्राधिकारी न्यूनतम छह माह अथवा अधिकतम अठारह माह की अवधि पर विचार कर सकता है। वर्तमान मामले में घरेलू उत्पादक मुख्यतः एमएसएमई इकाइयां हैं, जो अपने अभिलेख वित्त वर्ष के आधार पर रखती हैं। जुलाई 2025 से जून 2026 तक की 12 माह की अवधि अपनाने से ऐसे उत्पादकों को जानकारी तैयार करने और उसके सत्यापन में काफी व्यावहारिक कठिनाइयां होतीं। अतः जांच अवधि में पूरे वित्त वर्ष 2025-26 को शामिल करना उपयुक्त माना गया है और इससे आंकड़ों में विकृति आने की संभावना नहीं है। तदनुसार, वर्तमान मामले में 15 माह की जांच अवधि अपनाई गई है।

छ. कथित पाटन का आधार

<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

24. प्राधिकारी की पद्धति तथा नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 8 के साथ पठित चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) को ध्यान में रखते हुए, चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जा सकता है कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, ताकि जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग किया जा सके। जब तक चीनी उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना है।

25. चूंकि इस चरण में (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत; (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य; (ग) ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत, के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए जांच दल ने दायर किए गए अभ्यावेदनों में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर, एलेमाई के सदस्य 3 घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत संबंधी जानकारी के आधार पर, उचित लाभ मार्जिन तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करने के बाद किया गया है।

<u>अन्य देशों के लिए सामान्य मूल्य</u>

26. मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड में प्रचलित संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में इस चरण में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे देशों में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संबंध में भी जानकारी

उपलब्ध नहीं है। अतः, जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, इन देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण भी सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के रूप में एलेमाई के सदस्य 3 घरेलू उत्पादकों की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

27. निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु प्राधिकारी ने वाणिज्य विभाग के व्यापार आसूचना एवं विश्लेषण (टीआईए) पोर्टल से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर विचार किया है। उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर कारखानाद्वार स्तर की निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय मालभाड़ा, कमीशन आदि के लिए निर्यात कीमतों में समायोजन किया गया है।

28. तदनुसार, उपर्युक्त गणना किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखानाद्वार स्तर की निर्यात कीमत से अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन नगण्यता सीमा (डी मिनिमिस) से अधिक होने का अनुमान है।

ज. कथित क्षति का आधार

29. एलेमाई ने प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं कि भारत में घरेलू उद्योग को देश में पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उपलब्ध जानकारी से यह भी संकेत मिलता है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई और उद्योग घाटे में चल रहा है। उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी गिरावट आई है। उद्योग की उत्पादन क्षमताओं का उपयोग भी काफी कम हो रहा है। यद्यपि इस चरण पर आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव के संबंध में पूरी जानकारी प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रथम दृष्टया यह देखा गया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

झ. स्वप्रेरणा से पाटन रोधी जांच की शुरुआत

30. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, एलेमाई और उसके सदस्य उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी तथा अभिलेख पर उपलब्ध आयात आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी संतुष्ट है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, उससे घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसा कि नियमावली के नियम 5(3)(ख) में निर्दिष्ट है। अतः प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9क को नियमावली के नियम 5(4) के साथ पढ़ते हुए, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव की जांच करने तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के उद्देश्य से एतद्वारा स्वप्रेरणा से पाटन रोधी जांच शुरू करता है।

ञ. प्रक्रिया

31. इस जांच में नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

32. सभी इच्छुक पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। इच्छुक पक्षकारों की ओर से सभी पत्राचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी – AD/OI/079/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुतियों का विवरणात्मक भाग खोजयोग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ों की फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

33. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं तथा घरेलू उत्पादकों को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी इस अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित प्रारूप तथा तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

34. संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों, जिनमें एलेमाई के सदस्य तथा भारत के अन्य उत्पादक भी शामिल हैं, को इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर 29 जुलाई 2021 की व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अनुबंध-I में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

35. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति इस अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाला पक्षकार उसका गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

36. इच्छुक पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच की आगे की प्रगति से अवगत रहने के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखें। इसके अंतर्गत प्रश्नावली के प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन संबंधी चर्चा/बैठक का कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं तथा समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य सूचनाएं शामिल हैं।

ठ. समय-सीमा

37. वर्तमान जांच से संबंधित सभी जानकारी इच्छुक पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपने पंजीकृत नाम और संबंधित मामला आईडी – AD/OI/079/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात गोपनीय संस्करण (सीवी) और गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी), ज्ञात इच्छुक पक्षकारों तथा संबद्ध देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों को सूचना-पत्रों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान जांच शुरू किए जाने के आधार में प्रयुक्त जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण और संबंधित प्रश्नावली शामिल हैं, के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित कॉलम में अपलोड किए जाने चाहिए, जैसा कि नियमावली के नियम 6(4) में प्रावधान है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती अथवा प्राप्त जानकारी अपूर्ण होती है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है।

38. सभी इच्छुक पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से वर्तमान मामले में अपनी रुचि (रुचि के स्वरूप सहित) सूचित करें तथा अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।

39. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की 15 दिनों की अवधि इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

40. **विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार:** यदि प्राधिकारी बाद की किसी सूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन में इस अधिसूचना से भिन्न अथवा पहले प्रस्तावित न किए गए तरीके से संशोधन करता है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से दी जाएगी। इस अनुच्छेद में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें जांच की शुरुआत के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यदि 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाता है, तो उससे आगे समय-

विस्तार के अनुरोधों पर नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

41. समय-विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा मूल समय-सीमा समाप्त होने से कम-से-कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

42. यदि वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति देता है या गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराता है, तो उसे नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण भी साथ ही प्रस्तुत करना होगा। उक्त आवश्यकता का पालन न किए जाने पर प्रश्नावली के उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

43. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (इसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) देने वाले पक्षकारों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

44. ऐसी प्रत्येक प्रस्तुति के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' अथवा 'गैर-गोपनीय' अंकित होना चाहिए। इस प्रकार का अंकन किए बिना प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किसी भी सामग्री को प्राधिकारी गैर-गोपनीय सूचना मानेगा तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों को उसका निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

45. गोपनीय संस्करण में वह समस्त जानकारी शामिल होनी चाहिए जो अपनी प्रकृति से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य जानकारी जिसे उपलब्ध कराने वाला पक्षकार गोपनीय होने का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय या अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा की गई जानकारी के संबंध में उस जानकारी को उपलब्ध कराने वाले पक्षकार को उचित कारण दर्शाने वाला विवरण भी देना होगा, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि ऐसी जानकारी प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

46. इच्छुक पक्षकारों द्वारा दाखिल जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा (जहां सूचकांकीकरण संभव न हो) रिक्त रखा जाए। गोपनीयता का दावा की गई जानकारी की प्रकृति के अनुसार उसका उपयुक्त और पर्याप्त सारांश भी दिया जाना चाहिए।

47. गैर-गोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह बता सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश बनाना संभव नहीं है। ऐसे मामले में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, इसका पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।

48. इच्छुक पक्षकार दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता संबंधी मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

49. कोई भी प्रस्तुति, जिसका सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा जिसके गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित उचित-कारण विवरण नहीं दिया गया है, प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं ली जाएगी।

50. प्राधिकारी प्रस्तुत जानकारी की प्रकृति की जांच करके गोपनीयता संबंधी अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा जानकारी उपलब्ध कराने वाला पक्षकार उसे सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत रूप अथवा सारांश के रूप में प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है।

51. प्राधिकारी, प्रस्तुत जानकारी को गोपनीय रखना आवश्यक होने के संबंध में संतुष्ट होने तथा उस गोपनीयता को स्वीकार कर लेने पर, जानकारी प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना उसे किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं करेगा।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

52. किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सामग्री के सभी गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ण. असहयोग

53. यदि कोई इच्छुक पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंच देने से इनकार करता है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकता है तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES**)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2026

INITIATION NOTIFICATION

SETU CASE ID – AD/OI/079/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Aluminium Extrusion Profiles, Structures and Articles thereof" from China PR, Malaysia, Vietnam and Thailand.

A. Background

F. No. 6/67/2026-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'AD Rules, 1995' or the 'Rules'), representations have been received by the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') from the Aluminium Extrusion Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as 'ALEMAI' or the 'Association'), representing 228 manufacturers of "Aluminium Extrusion Profiles, Structures and Articles thereof" (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or the 'subject goods' or the 'PUC'). ALEMAI has stated that the domestic industry is suffering injury on account of a significant increase in the dumped imports of the subject goods from China PR, Malaysia, Vietnam and Thailand (hereinafter referred to as subject countries).

1. Nine domestic producers, who are members of ALEMAI, have also filed representations seeking imposition of ADD. These companies have furnished their financial statements Additionally, vide letters dated 4th November 2026, 3 domestic producers who are members of ALEMAI have submitted summary cost information, and estimates of dumping and injury margin in respect of imports from the subject countries.

2. ALEMAI has submitted that most of its members are small units in the MSME category, and has requested the Authority to consider initiation of the investigation on the basis of the facts stated in the representations filed by the Association and its members, and the import data available with the Authority.

3. The Authority has examined the information furnished by ALEMAI and its member producers, along with the import data of the subject goods obtained from the Trade Intelligence and Analytics (TIA) portal of the Department of Commerce. The import data indicates that the imports of the subject goods from China PR, Malaysia, Vietnam and Thailand increased during the period of investigation, and that these countries together accounted for about 90% of the total imports of the subject goods into India during the period of investigation.

4. Rule 5(4) of the Rules provides as under:

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the designated authority may initiate an investigation suo motu if it is satisfied from the information received from the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or from any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances referred to in clause (b) of sub-rule (3)."

5. The Authority, accordingly, takes cognizance of the information provided by ALEMAI and its member producers and the import data available on record, in terms of Rule 5(4) of the Rules, for the purpose of examining whether sufficient evidence exists as to the existence of dumping, injury and causal link, as referred to in Rule 5(3)(b) of the Rules.

B. Product under consideration

6. The product under consideration in the present investigation is "Aluminium Extrusion Profiles, Structures and Articles thereof". The subject goods may be alloyed or non-alloyed and are produced by the extrusion process in the form of profiles (solid, hollow or semi-hollow), bars, rods, tubes and pipes.

7. The subject goods are sold either in mill finish or surface treated (anodized, powder coated, liquid painted, electrophoretically coated, wood-grain or sublimation finished, polished or brushed). The goods may be sold as such, or further fabricated (i.e., cut to length, drilled, punched, notched, mitred, bent, welded, machined or threaded), and are used to make structures and articles for eventual end consumption.

8. Accordingly, the scope of the product under consideration includes the following:

(a) Extruded profiles for architectural, industrial, transport, electrical and general engineering applications;

(b) Extruded bars and rods, other than wire rods;

(c) Extruded seamed or seamless tubes and pipes, whether or not subsequently drawn;

(d) Doors, windows and their frames and thresholds, curtain-wall and façade systems, partitions, louvres, railings and balustrades, and other structures and parts of structures made from aluminium extrusions, as well as profiles, tubes and the like prepared for use in structures; and

(e) Other articles made predominantly from aluminium extrusions, such as heat sinks, LED and lighting profiles, industrial framing (T-slot) profiles, solar mounting structures, ladders and furniture, kitchen and wardrobe profiles, bicycle parts and formwork.

9. ALEMAI has submitted that profiles, bars, rods, tubes, structures and articles made through the extrusion process are different variants of a single product, since (a) all forms are produced from aluminium billet, cast from primary aluminium ingot and/or aluminium scrap with the required alloying material; (b) all forms are produced on the same hydraulic extrusion press, through the same stages of billet heating, extrusion, quenching, stretching, cutting and ageing, the only difference between a hollow and a solid profile being the die; (c) structures and articles are made from extruded profiles only by cutting, machining, welding or joining, and the extruded profile gives the finished structure or article its essential character and accounts for the predominant part of its cost; and (d) the output at each stage (profile, structure or article) is capable of being sold as such.

10. The Authority prima facie notes that the structures and articles included in the scope are made from extruded profiles by cutting, machining, welding or joining. Such processes are incremental, and no additional raw material, plant or primary process is required to produce the structures and articles. Accordingly, for the purpose of initiation, aluminium profiles, structures and articles made through the extrusion process have been considered as part of the product under consideration. The scope shall be examined further in light of the comments received from the interested parties.

11. The product under consideration is used in a wide range of architectural, industrial, transport, electrical and general engineering applications, such as windows, doors, curtain-wall and façade systems, partitions, railings, heat sinks and lighting profiles, industrial framing, solar mounting structures, ladders, furniture, kitchen and wardrobe profiles, bicycle parts and formwork.

12. The main raw material is aluminium billet, made by melting primary aluminium and/or aluminium scrap and adding small quantities of other metals to obtain the required alloy. The billet is cut to length, heated to about 450–500°C and pushed by a hydraulic ram through a die. The extruded profile is cooled, stretched, cut to standard lengths and aged in an oven to attain the required hardness and strength (such as T5 or T6 temper). The profiles may thereafter be anodised, powder coated or otherwise finished, and may be cut, drilled, punched, machined, welded or joined to make structures and articles.

13. The Authority notes that anti-dumping duty is presently in force on imports of "Anodized Aluminium Frames for Solar Panels/Modules" originating in or exported from China PR, imposed vide Customs Notification No. 16/2024-Customs (ADD) dated 27th September 2024. The treatment of such goods within the scope of the present investigation shall be examined during the course of the investigation, and the interested parties may offer their comments in this regard.

14. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tonnes (MT), the product being produced and sold in different sizes and varieties that are most comparable in terms of weight.

15. The product under consideration is classifiable under Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, under tariff items 7604 10 20, 7604 10 31, 7604 10 39, 7604 21 00, 7604 29 30, 7604 29 90, 7608 10 00, 7608 20 00, 7610 10 00, 7610 90 10, 7610 90 20, 7610 90 30, 7610 90 90 and 7616 99 90. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

16. No Product Control Number ('PCN') methodology has been proposed at this stage. The Authority would determine the need for a PCN methodology during the course of the investigation, based on the comments received from the interested parties.

17. All interested parties are advised to furnish their comments on the scope of the PUC and on the need for a PCN methodology within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the information on the basis of which the present investigation has been initiated and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject countries.

C. Like article

18. ALEMAI has claimed that there is no known difference between the subject goods produced in India and those imported from the subject countries. The goods are comparable in terms of physical and technical characteristics, alloys, manufacturing process, functions and uses, specifications, distribution and marketing, and tariff classification, and are technically and commercially substitutable. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the Indian industry are being treated as 'like article' to the product under consideration imported from the subject countries, in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. Domestic industry and standing

19. The Authority notes that the Indian industry producing the subject goods is fragmented in nature and comprises largely of units in the MSME category. ALEMAI represents 228 manufacturers of the subject goods in India. The Authority is prima facie satisfied that the representation has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

20. Considering the MSME and fragmented nature of the industry and the number of producers involved, the Authority, in terms of Trade Notice 09/2021 dated 29th July 2021, seeks information from the domestic producers as per Annexure I referred to in the said trade notice. Based on the information so received, the Authority shall determine the scope of the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and shall undertake sampling of domestic producers for the purpose of determination of injury margin. Therefore, while the information concerning all producers constituting the domestic industry will be considered for injury analysis, the non-injurious price and injury margin will be determined based on the data of the sampled producers.

E. Subject countries

21. The subject countries in the present investigation are China PR, Malaysia, Vietnam and Thailand (hereinafter referred to as the 'subject countries').

F. Period of investigation

22. The period of investigation ('POI') for the present investigation is 1st April 2025 to 30th June 2026 (15 months). The injury investigation period shall cover the periods 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the POI.

23. Rule 5(3A) of the Rules provides that the period of investigation shall not be more than six months old as on the date of initiation, and shall normally be twelve months, while for reasons to be recorded in writing the Authority may consider a minimum of six months or a maximum of eighteen months. In the present case, the domestic producers are predominantly MSME units which maintain their records on a financial-year basis. Adoption of a twelve-month period from July 2025 to June 2026 would have resulted in substantial practical difficulties in the preparation and verification of information by such producers. Inclusion of the complete financial year 2025-26 within the POI is, therefore, considered appropriate, and is not expected to skew the data. Accordingly, a period of investigation of fifteen months has been adopted in the present case.

G. Basis of alleged dumping

Normal value for China PR

24. Considering the practice of the Authority and Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol, read with paragraph 8 of Annexure I to the Rules, the Chinese producers may be directed to show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product, with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration, so that Chinese prices or costs can be used for the industry under investigation. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, the normal value is to be determined in accordance with Para 7 of Annexure-1 to the Anti-dumping Rules.

25. Since the information is not available at this stage with regard to (a) the price in a market economy third country; (b) constructed value in a market economy third country; (c) the price from such a third country to other country, including India, the investigating team has constructed the normal value for China based on the information made available in the representations filed. Accordingly, normal value has been determined based on the price payable in India based on the cost of production information provided by 3 domestic producers who are members of ALEMAI, after duly adjusting to include a reasonable profit margin and Selling General and Administrative Expenses.

Normal value for other countries

26. Information with respect to domestic selling price of the subject goods as prevailing in Malaysia, Vietnam and Thailand is not available at this stage. Further, information with respect to cost of production of the subject goods in such countries is also not available. Therefore, for the purpose of initiation, the normal value for these countries has also been constructed on the basis of the cost of production of the 3 domestic producers who are members of ALEMAI, as the best information available.

Export price

27. For determination of export price, the Authority has considered transaction wise import data procured from Trade Intelligence and Analytics (TIA) portal of the Department of Commerce. The export prices have been adjusted for port expenses, bank charges, inland freight, commission etc. to determine the ex-factory export price based on best available information.

28. Accordingly, based on the normal value and export price as computed above, there is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

H. Basis of alleged injury

29. ALEMAI has made representations before the Authority that the domestic industry in India has suffered injury due to the dumped imports into the country. The volume of the subject imports from the subject countries has increased significantly in absolute terms. Available information also indicates that the industry has suffered injury as the dumped imports were undercutting the prices of the industry, resulting in significant decline in profitability, and it is suffering losses. The industry is also facing decline in cash profits and return on capital employed. The industry is also facing significant underutilization of production capacities. While complete information on the impact on economic parameters is not available with the Authority at this stage, it is nonetheless *prima facie* observed based on information received that the domestic industry has suffered injury due to dumped imports.

I. Initiation of suo motu anti-dumping investigation

30. In view of the foregoing, and having satisfied itself, on the basis of the information furnished by ALEMAI and its member producers and the import data available on record, that sufficient evidence exists as to the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequent material injury to the domestic industry and the causal link between such injury and the dumped imports, as referred to in Rule 5(3)(b) of the Rules, the Authority, in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5(4) of the Rules, hereby suo motu initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. Procedure

31. The provisions stipulated in Rule 6 of the Rules shall be followed in this investigation.

K. Submission of information

32. All the interested parties are required to register themselves on the SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID – AD/OI/079/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

33. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be associated with the product under consideration, and the domestic producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules and the applicable trade notices issued by the Authority.

34. The domestic producers of the subject goods, including the members of ALEMAI as well as other producers in India, are required to furnish information in the format prescribed in Annexure I to Trade Notice 09/2021 dated 29th July 2021, within the time limit mentioned in this initiation notification.

35. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules and the applicable trade notices issued by the Authority, within the time limits mentioned in this initiation notification. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make available a non-confidential version of the same to the other interested parties.

36. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies (http://www.dgtr.gov.in) and the SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) to stay apprised of further developments in the present investigation, and to remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.

L. Time limit

37. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (http://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID –AD/OI/079/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV), must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the information on the basis of which the present investigation has been initiated and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject countries, as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

38. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit, through the SETU portal only.

39. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC and the PCN methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this initiation notification.

40. **Extension due to modification of PUC/PCN:** An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN in a manner not previously proposed or different from this initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from the date of such notification of the modified PUC and PCN. The extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology after initiation of the investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the Rules.

41. Any request for an extension must be submitted by the concerned party through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

M. Submission of information on confidential basis

42. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

43. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto) before the Authority, including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

44. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

45. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed for other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

46. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version, with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible), and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

47. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation, in terms of Rule 7 of the Rules and the appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

48. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

49. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof, or without a sufficient and adequate good cause statement on the confidentiality claim in terms of Rule 7 of the Rules and the appropriate trade notices issued by the Authority, shall not be taken on record by the Authority.

50. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

51. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of public file

52. All non-confidential versions of the submissions made by any interested party will be accessible to the other interested parties through their respective login on the SETU portal.

O. Non-Cooperation

53. In case any interested party refuses access to, and otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available, and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.18 17:19:18 +05'30'